राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद संख्या–10/2020

पीठासीन अधिकारीः–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस. दायर दिनांकः– 16.12.2020

श्रीमति सायरी देवी पत्नि श्री लालाराम, पुत्री स्व0 श्री छीतर जाजड़ा, आयु 41 वर्ष, जाति जाट, निवासी जाजड़ों की ढाणी ग्राम भदूण, त0 रूपनगढ, जिला अजमेर, हाल निवासी नाडा की ढाणी ग्राम सिनोदिया त0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।

–अपीलार्थीया

बनाम

1. ग्राम पंचायत भदूण, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भदूण।
2. श्रीमति तीजा पत्नि कानाराम, पुत्री स्व0 श्री छीतर जाजड़ा, जाति जाट निवासी ग्राम भदूण, हाल निवासी ग्राम नयागांव त0 रूपनगढ, जिला अजमेर।
3. पटवारी, पटवार हल्का भदूण, त0 रूपनगढ, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय रूपनगढ, जिला अजमेर।

.......रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत भदूण नामांतरण संख्या 1639 दिनांक 04.01.2019

उपस्थितः–1.वकील अपीलार्थीया, श्री सुण्डाराम जाट
2.वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2, श्री विजेन्द्र सिंह

निर्णय

दिनांकः–30.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया के पिता छीतर वल्द हीरा जाजड़ा जाति , निवासी ग्राम भदूण, की तहसील रूपनगढ के राजस्व ग्राम भदूण में खसरा नम्बर 396 रकबा 0.0728 ,खसरा नम्बर 397 रकबा 2.9621 है0, 398 रकबा 0.0809, 408 रकबा 0.0242 है0, 409 रकबा 0.0647 410 रकबा 8.1547 है0 व खसरा नम्बर 433 रकबा 2.4836 है0 कुल किता 7 व कुल रकबा 13.8430 र कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजी अपीलार्थीया और रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पिता श्री छीतर खातेदारी भूमि है तथा श्री छीतर ने प्रथम विवाह श्रीमती चन्द्री देवी के साथ किया था तथा चन्द्री देवी देहान्त के पश्चात अपीलार्थीया के पिता छीतर ने अपीलार्थीया की माता श्रीमती चूंका देवी से विवाह या था, छीतर के उक्त विवाह के उपरान्त दो पुत्रियां अपीलार्थीया एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 हुई एवं छीतर देहान्त के पूर्व ही चन्द्री देवी एवं चूंका देवी दोनों का देहान्त हो चुका था, एवं आराजी के खातेदार एवं ार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पिता छीतर का भी देहान्त हो चुका है। छीतर के देहान्त के पश्चात र की मात्र दो विधिक वारिसान अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शेष रही है और उक्त दोनों क वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है।

अपीलार्थीया के पिता छीतर का उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी में 1/3 हक व हिस्सा निहित है, एवं लार्थीया के पिता के देहान्त के पश्चात अपीलार्थीया का 1/3 हक व हिस्से में से 1/2 यानि लार्थीया का 1/6 हक व हिस्सा स्वतः ही निहित हो गया एवं शेष 1/6 हक व हिस्सा रेस्पोडेन्ट या 2 का निहित हो गया, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलार्थीया को बिना जानकारी के ... की कर फर्जी एवं मिथ्या वारीसान सजरा बनाकर अपीलार्थीया के पिता के सम्पूर्ण आराजी ... रासत तरण संख्या 1639 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दिनांक 04.1.2019 को प्रस्तुत करवाकर ना... ीक करवा लिया और राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इन्द्राज करवा लिया जो कि कतई गैर कानूनी ... ी अवैध एवं शून्य है, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने बिना कोई विधिवत जांच किये अपीलार्थीया का व अधिकार निहित होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम सम्पूर्ण आराजी का ...तरण धिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तस्दीक का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया है, जो कतई गैर कानूनी है, लार्थीया को उपरोक्त नामांतरण की जानकारी हाल ही में अपीलार्थीया के पिता के भाई बंधों के माध्यम प्राप्त हुई है, जिस पर अपीलार्थीया ग्रामीण परिवेश की महिला होने, अनपढ एंव कानूनी कार्यवाही से भिज्ञ होने व अपने परिचितों के माध्यम से राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की जिस पर अपीलार्थीया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

गैर कानूनी रूप से इन्द्राज किये गये नामांतरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा उक्त वाद दायर किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स की तलबी जरिये नोटिस की गई। सभी रेस्पोडेंट्स नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या–2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम भदूण के खसरा नम्बर 396 रकबा 0.0728 है0 ,खसरा नम्बर 397 रकबा 2.9621 है0, 398 रकबा 0.0809, 408 रकबा 0.0242 है0, 409 रकबा 0.0647 रहै0, 410 रकबा 8.1547 है0 व खसरा नम्बर 433 रकबा 2.4836 है0 कुल किता 7 व कुल रकबा 13.8430 हैक्टर कृषि भूमि में छीतर पुत्र हीरा का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। छीतर पुत्र हीरा का स्वर्गवास दिनांक 11 सितम्बर 2018 को हो गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतरण संख्या 1639 दिनांक 4.1.2019 से इन्द्राज किया गया। इसके पश्चात से ही उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 के कब्जे काश्त में है,। चुका देवी पत्नि डागाराम पुत्र टोडाराम जाट (डुक्या) डेर की ढाणी, सिनोदिया की थी, सायरी पुत्री डागाराम की पुत्री है। चुका देवी डागाराम को छोड़कर आई तब अपनी पुत्री सायरी को भी साथ लेकर आई थी, छीतर पुत्र हीरा के साथ ग्राम भदूण में निवास करने लग गई। छीतर पुत्र हीरा ने चुका देवी से विवाह नहीं किया था, छीतर पुत्र हीरा के साथ रहने से चुका देवी व उसकी पूत्री सायरी का पालन पोषण किया। सायरी का विवाह भी छीतर पुत्र हीरा ने करवाया था एवं चुका देवी के स्वर्गवास के बाद समस्त कार्यक्रम छीतर पुत्र हीरा ने ही करवाये थे। ग्राम पचायत ने छीतर पुत्र हीरा के वास्तविक वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तीजा के नाम खोला है, जो सही खोला गया हैं, छीतर पुत्र हीरा की जाईन्दा एकमात्र वारिस पुत्री तीजा ही है,, परन्तु अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर चुका देवी के पूर्व पति डागाराम की मृत्यु संलग्न मृत्यु प्रमाण क्रमांक 08119007250010200030/2020 के अनुसार 29.05.1977 को हुई तत्पश्चात विधवा चुका देवी ने 1977 में छीतर पुत्र हीरा के साथ दूसरी शादी की जिससे संलग्न आधार कार्ड संख्या 4720231401 के अनुसार 01.01.1979 को सायरी का जन्म हुआ एवं संलग्न शपथ पत्र सगवाई, पंडित में छीतर ने सायरी को अपनी पुत्री मानते हुए उसका पालन पोषण एवं शादी की, जिसे रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया है एवं रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई लिखित साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि सायरी छीतर की जायज पुत्री है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस सुनी। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन, उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार अपीलांट् की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1639 दिनांक 4.1.2019 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रूपनगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम भदूण के खसरा संख्या 396 रकबा 0.0728 है0 ,खसरा नम्बर 397 रकबा 2.9621 है0, 398 रकबा 0.0809, 408 रकबा 0.0242 है0, 409 रकबा 0.0647 है0, 410 रकबा 8.1547 है0 व खसरा नम्बर 433 रकबा 2.4836 है0 कुल किता 7 व कुल रकबा 13.8430 हैक्टर में निहित हिस्से के राजस्व रिकार्ड में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में विधिक हिस्से का नामांतरकरण दर्ज करें।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)